(12)

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 53/2014

GCMS CASE NO-2014/00087

दायरा दिनांक 03.06.2014

1. ज्यानीदेवी पत्नी हरजीराम
2. लक्ष्मीदेवी
3. नन्दलाल
4. लीलादेवी
5. गणेश
6. पार्वतीदेवी
7. दिनेश कुमार

पुत्र/पुत्रीयान हरजीराम जाति ब्राहम्ण साकिन वार्ड न0 19/14 नया सूरतगढ तहसील सूरतगढ

–अपीलांटगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार बजरिये प्रतिनिधि भू–धारक तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
2. गोदावरी देवी पुत्री हरजीराम पत्नी हेमराम पुरोहित जाति ब्राहम्ण निवासी नजदीक लाहौटी चौक सूरतगढ
3. हनुमानमल पुत्र हरजीराम जाति ब्राहम्ण निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ
4. पुष्पा देवी पुत्री हरजीराम पत्नी श्योपतराम जाति ब्राहम्ण निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
5. राजेन्द्र पुत्र हरजीराम जाति ब्राहम्ण निवासी पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सूरज किरयाना के सामने सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला जिला श्रीगंगानगर।
6. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ तहसील सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर

–रेस्पोडेंटगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री भगवानदत्त शर्मा, धर्मपाल सिहाग, अधिवक्ता, अपीलांट
2. श्री राजवीर भादू अधिवक्ता रेस्पोडेंट 3,5
3. पैराकार राज, रेस्पोडेंट न0 1
4. श्री शीशपाल शर्मा अधिवक्ता रेस्पोंडेंट न0 5

## अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.xx.xx 12:36:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

13

:: निर्णय :: दिनांकः—23.10.2024

1. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के प्रकरण संख्या 168/2006 सीगा टीसी आवंटन अनवान हरजीराम पुत्र गोपाल में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपीलांट जरिये अपील निवेदन किया है कि अपीलांट के पति/पिता को रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा न0 492/6 में 10.120 है0 बारानी रकबा टीसी पर सम्वत 2032 में आवंटन किया गया था। जो पहले से एक साला टीसी पर चला आ रहा था व रकबा नवीनीकरण होकर आजतक कब्जा काश्त में चला आ रहा है। अपीलांट के पति/पिता का स्वर्गवास हो जाने से अपीलांट अपील कर रहे है। अपीलांट के पति/पिता के नाम के आरजीकाश्त पर आवंटित रकबा को अदालत मातहत तहसीलदार सूरतगढ ने बिना कोई जाचं किये हुए झूठे व गलत तथ्यों के आधार पर करीब 34 वर्ष पुराने आवंटन को अपने ही कयासों के आधार पर दिनांक 09.06.2006 को खारिज कर दिया। टीसी पट्टा खारिज करने का तहसीलदार को अधिकार क्षेत्र नहीं होकर जिला कलक्टर को शक्ति प्राप्त थी इसलिए जैर अपील आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पारित किया गया है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किये जाने अधिकारातीत आदेश होने, सम्मन तामील के आधार पर आदेश अदालत में नियमों का पालन न होने से आगामी कार्यवाही हुई है जो गलत (abinitio wrong) की श्रेणी में आता है। जैरअपील रकबा अपीलांटस के पति/पिता को टीसी आवंटन था उनके स्वर्गवास हो जाने के कारण अपीलांटस प्रथम श्रेणी के वारिस होने के कारण विरासतन हक रखते है व अपील प्रस्तुत करने का अधिकार रखते है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय खारिज किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानदत्त शर्मा व धर्मपाल सिहाग उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट 01 की ओर से पैरोकार राज व रेस्पोडेंट 3 व 5 की और से अधिवक्ता श्री राजवीर भादू व रेस्पोडेंट संख्या 06 की और से श्री अधिवक्ता शीशपाल शर्मा हाजिर आये।

4. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पति/पिता के फौत होने के पश्चात अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसका ज्ञान प्रार्थीगण/अपीलांट को कतई नहीं था। प्रथमतः मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किये जाने, अधिकारातीत आदेश होने, सम्मन तामील के आधार पर आदेश अदालत में नियमों का पालन न होने से आगामी कार्यवाही अधिकारातीत हुई है जो प्राथमिकतः गलत की तारीफ में आती है। आदेश का ज्ञान प्रार्थी को रकम जमा कराने आये तब अपीलाधीन आदेश का ज्ञान होते ही दिनांक 12.05.2014 को नकल हेतु आवेदन किया व दिनांक 02.06.2014 को नकल प्राप्त होते ही जानकारी की दिनांक से बिना किसी देरी के अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलांट द्वारा जान बूझकर अपील देरी से पेश नही

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Sougara
Date: 2024.10.28 12:36:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

की गई है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नही किया तथा एकतरफा तौर पर जैर अपील आदेश पारित कर दिया। अतः प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

5. रेस्पोडेंटस संख्या 1 व 6 ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का खण्ड़न करते हुए लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने यह अपील लगभग 16 वर्ष पश्चात पेश की है जो पूर्णतया मियाद बाहर है। अपीलांट को जैर अपील आदेश की कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान था। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना गया था। अपील पेश करने में हुई देरी का जो कारण अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, वह सन्तोष जनक नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

6. हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट्स ने प्रार्थनापत्र में देरी का जो कारण बताया है वह भी संतोष जनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हम हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर करना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जैरअपील रकबा अपीलांट के पति/पिता के नाम से आवंटन हुआ था आवंटी के फोत हो जाने के उपरांत अपीलांट जैरअपील रकबा पर काबिज काश्त है तथा उक्त रकबा उनको विरासतन प्राप्त हुआ हे। अपीलांट के पिता/पति को जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व सुना नहीं गया है जैर अपील आदेश अपीलांट के पीठ पीछे एकपक्षीय तौर पर पारित किया गया है अपीलांट जैरअपील प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है तथा रकबा पर अपीलांट का हितनिहित है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील अनुमति प्रदान करे।

8. रेस्पोडेंट संख्या 1 पैरोकार राज व रेस्पोडेंट संख्या 6 नगरपालिका सूरतगढ ने कथन किया गया कि अपील में प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार अपीलांटगण के पति/पिता दिनांक 12.01.1990 को फौत हो चुका है व टीसी आवंटन के नियमो के अनुसार टीसी आवंटी फौत होते ही टीसी आवंटन निरस्त हो जाता है। इसलिए प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

9. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया जैरअपील रकबा अपीलांट के पति/पिता के नाम से आवंटन हुआ था। वारिस होने के नाते अपीलांट जैरअपील प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है तथा रकबा पर अपीलांट का हितनिहित है। उपरोक्त विवेचनो के आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

10. गुणावगुण के आधार पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 09.06.2006 को अपीलांटगण के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Swami
Date: 2024.10.28 12:36:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

पति/पिता को रोही सूरतगढ के ख.न. 492/6 में 10.120 है0 भूमि टीसी पर आवंटन की गई थी। अपीलांट के पिता/पति कोसम्मन तामील नहीं करवाया गया। बिना आदेश आबाद मकान पर चस्पांदगी बताई गई जो कानून विपरीत है। अपीलांट के पिता/पति को अपीलाधीन भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आरजी काश्त हेतु भू आवंटन नियमों के अंतर्गत दी गई थी एवं मूल आवंटन सम्वत 2032 हेतु वर्ष 1975 में किया गया था। तथा समय समय पर इन्ही नियमों के अंतर्गत नवीनीकरण किया जाता रहा है। वर्ष 2006 तक नवीनीकरण हुआ है। वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 में भूमि नहीं आती, अतः उक्त नियमों में भूमि का निरस्तीकरण कतई गलत व कानून विपरीत किया गया है। यह कि टीसी पट्टा खारिज करने का तहसीलदार को अधिकार क्षेत्र नहीं होकर जिला कलक्टर को शक्ति प्राप्त थी इसलिए जैर अपील आदेश अधिकार क्षेत्र से वाहर जाकर पारित किया गया है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किये जाने अधिकारातीत आदेश होने, सम्मन तामील के आधार पर आदेश अदालत में नियमों का पालन न होने से आगामी कार्यवाही हुई है जो गलत (**abinitio wrong**) की श्रेणी में आता है। आवंटिती ने शर्तो की पूर्ण रूप से पालन किया है। आज भी मौका पर मूल आवंटिती के वारिसों का कब्जा है। शर्तो का कतई उल्लंधन नहीं किया गया है।राज्य सरकार द्वारा ऐसी भूमियों में संभागीय आयुक्त की सहमति से भूमि की कीमत का कुछ भाग जमा करवाकर खातेदारी दिये जाने का प्रावधान है। नियमों की अनदेखी कर आदेश पारित किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

11. रेस्पोडेंट संख्या 01 राजपैरोकार ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने मातहत न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 02.06.2016 को नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया है। इससे यह साबित है कि अपीलांट जैर अपील आदेश की कार्यवाही का पूर्णतय ज्ञान था। मातहत न्यायालय के आदेश से पूर्व अपीलांट को सुना गया था ततपश्चात आदेश हुआ था। अपीलांट ने अपनी अपील में यह कतई दर्ज नहीं किय कि उसने जैर अपील आदेश की जानकरी ना हो, इसलिए अपीलांट को जैर अपील आदेश की पूर्णतया जानकारी थी। इसलिए अपील पेश करने में जानबूझकर देरी की गई है। टीसी आवंटन केवल एक साल के लिए ही आवंटन होता है, एक साल पश्चात समयावधि समाप्त होते ही टीसी आवंटन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। RRD 1992 Page No- 431 अनुसार A Lease of Temporary cultivation automatically terminates at the end of the lease period-an heir to a deceased allottee can-not claim renewal thereof as a matter of right-he should apply for a fresh allotment for himself on merits. न्यायिक दृष्टांत–RRT 2018 (1) Page No 364 decided on 19th may 2017 के अनुसार A Lease for temporary cultivation come to an end automatically on expiry of the term of lease. न्यायिक दृष्टांत RRD 1995 Page No- 431 के अनुसार टीसी अवधि के समाप्ति के पश्चात स्वतः ही टीसी आवंटन निरस्त हो जाता है। इसलिए अपीलांट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त अनवानी अपील अपीलांट ने दिनांक 09.06.2006 विरूद्ध दिनांक 03.06.2014 को 07 वर्ष बाद श्रीमान जी के न्यायालय मे पेश की है जो पूर्णतय मियाद बाहर है अपीलांट ने टीसी आवंटन की शर्त, टीसी का नवीनीकरण एक साल के लिये होता है। एक साल बाद टीसी नवीनीकरण के लिए तहसीलदार के पास उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक है। अपील में अपीलांट ने विलम्ब माफी हेतु कोई कारण नहीं

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Sonjara
Date: 2024.10.28 12:36:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

बताया है। संतोषजनक कारण के अभाव में अपील मियाद बाहर होने से काबिल निरस्ती है। कानूनी नजीर RRT 2015(2) page no 1090 RRT 2015(1) page no 232 RRT 2002 page no 33 RRT 2010 page no 801 के अनुसार देरी माफी योग्य नहीं है। टीसी आंवटी को कभी भी रकबा पुख्ता आवंटन नहीं हुआ है। इस कारण अपीलांट ने पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है इसलिये अपील खारिज योग्य है।टीसी आवंटी को उसके टीसी आवंटित रकबे में किसी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है कानूनी नजीर आरआर जे 1999 के पेज संख्या 214 के अनुसार इस प्रकार का अपीलांट को इस प्रकार के रकबे में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे इसलिए भी अपील खारिज योग्य है। अपीलांट ने इस अपील में एक तरफा आदेश के खिलाफ अपील पेश करके अनतोष चाहा है जबकि अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय मे एक तरफा आदेश के निरस्त करने का अनुतोष ले सकते थ अपीलांट को ऐसे आदेशों के विरूद्ध अपील करने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए अपील खारिज योग्य है। अपीलांट का इस रकबा पर लगातार कब्जा काश्त नहीं है अपीलांट के लगातार उक्त रकबा पर काश्त नहीं की है अपीलांट के अपील के साथ कोई ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि उसने इस रकबे को लगातार काश्त होना भी कानूनी अनिवार्य है अपील खारिज योग्य है।जैर प्रकरण रकबा जमाबंदियो में शुरू से ही आराजीराज था यह रकबा लगातार कब्जा काश्त के अभाव में निरस्ती योग्य था अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय युक्ति युक्त है। जैर प्रकरण में रकबा का टीसी निरस्ती हेतु श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा तहसीलदार सूरतगढ को अधिकृत किया था अस्थायी आवंटन नियम 1955 के नियम 4(5) के अनुसार तहसीलदार को शक्तियां है तथा नियम 23 के अनुसार तहसीलदार को अधिकार भी है इसलिये मातहत न्यायालय का निर्णय युक्ति युक्त है।अपीलांट का टीसी आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा नहीं किया गया है अतः मौखिक बहस के साथ लिखित बहस पेश कर अर्ज है कि अपील पूर्णतया मियाद बाहर होने से तथा अपीलांट को जैर प्रकरण रकबे में कोई हक प्राप्त नहीं हो सकता है। टीसी आवंटन शर्त के अनुसार अपीलांट शर्त भी पूरी नहीं करता है व अपीलांट के नाम लगातार टीसी नवीनीकरण नहीं है व लगातार कब्जा काश्त भी नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधि संगत होने से अपील अपीलांट खारिज की जावे।

12. अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 06 ने कथन किया कि अनवानी अपीलांट ने दिनांक 09.06.2006 के विरूद्ध दिनांक 02.06.2014 को 08 साल पश्चात अपील पेश कि है जो मियाद बाहर है। अपील में अपीलांट द्वारा विलम्ब माफी हेतु कोई कारण नहीं बताया गया है। अपीलांटगण इस रकबे पर टीसी आवंटी ही नही रहे अपीलांटगण न इस रकबा के टीसी नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश ही नहीं किया टीसी आवंटन पत्रावली में मृतक हरजीराम पुत्र गोपालराम ने कभी भी 1986 से पहले या उसके पश्चात कभी नवीनीकरण हेतु आवेदन पेश नही किया तथा नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष नहीं हुआ तथा आवंटी के फौत हो जाने के पश्चात मृतक के वारिसों या अपीलांटगण ने कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है व ना ही किसी वर्ष नवीनीकरण हुआ है। जबकि 1986 तक इस रकबा के बाबत उपनिवेशन तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली मे पटवारी की रिपोर्ट मांगी जाकर टीसी आवंटन पत्रावली में ही टीसी आवंटन का प्रार्थना पत्र मर्ज कर दिया जाता था परंतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ही टीसी आवंटन का प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:36:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

पत्र मर्ज कर दिया जाता था परंतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आवंटी कब फौत हुआ, वारिसान की सूची इत्यादि कोई विवरण पेश नहीं किया गया है। तथाकथित टीसी आवंटी फौत हो चुका है तथा टीसी आवंटी के वारिसों के नाम से टीसी का नवीनीकरण भी नहीं हुआ है, व न ही वारिसों के नाम से टीसी आवंटन हुआ है तथा टीसी आवंटी तथा उसके वारिसों ने कभी भी टीसी नवीनीकरण हेतु रकम या मालकाना जमा नहीं करवाया है व टीसी शर्तो की पालना नहीं की है। टीसी आवंटन केवल एक साल के लिए ही अपीलांट के पिता के फौत हो चुके है, टीसी आवंटी के फौत होने पर टीसी आवंटन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। न्यायिक दृष्टांत–RRD 1992 Page No-431 अनुसार A Lease of Temporary cultivation automatically terminates at the end of the lease period-an heir to a deceased allottee can-not claim renewal thereof as a matter of right-he should apply for a fresh allotment for himself on merits. न्यायिक दृष्टांत–RRT 2018 (1) Page No 364 decided on 19th may 2017 के अनुसार A Lease for temporary cultivation come to an end automatically on expiry of the term of lease. न्यायिक दृष्टांत RRD 1995 Page No- 431 के अनुसार टीसी अवधि के समाप्ति के पश्चात स्वतः ही टीसी आवंटन निरस्त हो जाता है। इसलिए अपीलांट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त अनवानी अपील अपीलांट ने दिनांक 06.06.2006 विरूद्ध 08 वर्ष बाद श्रीमान जी के न्यायालय मे पेश की है जो पूर्णतय मियाद बाहर है अपीलांट ने टीसी आवंटन की शर्त, टीसी का नवीनीकरण एक साल के लिये होता है। एक साल बाद टीसी नवीनीकरण के लिए तहसीलदार के पास उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक है। अपील में अपीलांट ने विलम्ब माफी हेतु कोई कारण नहीं बताया है। संतोषजनक कारण के अभाव में अपील मियाद बाहर होने से काबिल निरस्ती है। कानूनी नजीर RRT 2015(2) page no 1090 RRT 2015(1) page no 232 RRT 2002 page no 33 RRT 2010 page no 801 के अनुसार देरी माफी योग्य नहीं है। टीसी आंवटी को कभी भी रकबा पुख्ता आवंटन नहीं हुआ है। इस कारण अपीलांट ने पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है इसलिये अपील खारिज योग्य है।टीसी आवंटी को उसके टीसी आवंटित रकबे में किसी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है कानूनी नजीर आरआर जे 1999 के पेज संख्या 214 के अनुसार इस प्रकार का अपीलांट को इस प्रकार के रकबे में कोई अधिकार प्राप्त नही होंगे इसलिए भी अपील खारिज योग्य है। अपीलांट ने इस अपील में एक तरफा आदेश के खिलाफ अपील पेश करके अनतोष चाहा है जबकि अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय मे एक तरफा आदेश के निरस्त करने का अनुतोष ले सकते थे अपीलांट को ऐसे आदेशों के विरूद्ध अपील करने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए अपील खारिज योग्य है। अपीलांट का इस रकबा पर लगातार कब्जा काश्त नहीं है अपीलांट के लगातार उक्त रकबा पर काश्त नहीं की है अपीलांट के अपील के साथ कोई ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि उसने इस रकबे को लगातार काश्त होना भी कानूनी अनिवार्य है अपील खारिज योग्य है। जैर प्रकरण रकबा जमाबंदियो में शुरू से ही आराजीराज था यह रकबा लगातार कब्जा काश्त के अभाव में निरस्ती योग्य था अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय युक्ति युक्त है। जैर प्रकरण में रकबा का टीसी निरस्ती हेतु श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा तहसीलदार सूरतगढ को अधिकृत किया था अस्थायी आवंटन नियम 1955

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kamaiya Lal Sengara
Date: 2024.10.28 14:36:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

के नियम 4(5) के अनुसार तहसीलदार को शक्तियां है तथा नियम 23 के अनुसार तहसीलदार को अधिकार भी है इसलिये मातहत न्यायालय का निर्णय युक्ति युक्त है।अपीलांट का टीसी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नहीं किया गया है अतः मौखिक बहस के साथ लिखित बहस पेश कर अर्ज है कि अपील पूर्णतया मियाद बाहर होने से तथा अपीलांट को जैर प्रकरण रकबे में कोई हक प्राप्त नहीं हो सकता है। टीसी आवंटन शर्त के अनुसार अपीलांट शर्त भी पूरी नहीं करता है व अपीलांट के नाम लगातार टीसी नवीनीकरण नहीं है व लगातार कब्जा काश्त भी नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधि संगत होने से अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। अपीलांट ने अपीलमीमों में अंकित किया है कि तहसीलदार सूरतगढ द्वारा मृतक के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन करने पर पाया कि आवंटी की मृत्यु के सम्बंध में कोई सूचना अपीलांट द्वारा तहसीलदार सूरतगढ को प्रस्तुत नहीं की गई थी। अपीलांट का मूल कर्तव्य था कि वह आवंटी की मृत्यु की सूचना तहसीलदार सूरतगढ के समक्ष प्रस्तुत करते। अतः अपीलांट का यह कथन कतई सिद्ध नहीं होता कि तहसीलदार द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट के पिता/पति को रोही करवा सूरतगढ़ के खसरा न. 492/6 की 10.120 है0 को राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत अस्थाई काश्त (टीसी) पर आवंटन हुई। मूल आवंटी को टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया गया था उक्त टीसी आवंटन को पुख्ता करवाने हेतु अपीलांट द्वारा ना तो कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा ना ही अपीलांट का टीसी आवंटन पुख्ता हुआ है। अपीलांट का टीसी खारिज होने के पश्चात उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए है जिससे उसका कब्जा काश्त साबित हो, जबकि टीसी आवंटन के लिए निरंतर कब्जा काश्त होना अतिआवश्यक था। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से अपीलांट का कब्जा काश्त साबित नहीं होता है, इस प्रकार अपीलांट द्वारा टीसी आवंटन की शर्तो की अक्षरक्षः पालना नहीं की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचनों के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ द्वारा सरकार बनाम हरजीराम में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2006 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

29/X/24

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (श्री गंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:36:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner